

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 22, 2010 (VAISAKHA 2, 1932 SAKA)

### हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 22 अप्रैल, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/पी०पी०टी०-एम०एज०डी०ए०/सी०ए०/2010/1301.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य हैं:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

गांव मडलौडा (हदबस्त संख्या 7), महायुदीनपुर (हदबस्त संख्या 9), आसनखुर्द (हदबस्त संख्या 22), उटलिया (हदबस्त संख्या 44), पुताना (हदबस्त संख्या 23), भालसी (हदबस्त संख्या 45), वैसारी (हदबस्त संख्या 43), नारा (हदबस्त संख्या 6) जिला पानीपत के इर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्रों की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (पी०एन०) 347/2008, दिनांक 7 मार्च, 2008 के साथ पढ़ा जाए।

छत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव नारा (हदबस्त संख्या 6) की आयत संख्या 14 का उत्तर-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात्, पूर्व की ओर गांव नारा (हदबस्त संख्या 6), गांव मडलौडा (हदबस्त संख्या 7) के गांवों की उत्तरी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव मडलौडा (हदबस्त संख्या 7) की आयत संख्या 51 का उत्तर-पूर्वी कोना है। तत्पश्चात् गांव महायुदीनपुर (हदबस्त संख्या 9) की आयत संख्या 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67 और गांव आसनखुर्द (हदबस्त संख्या 22) की आयत संख्या 19, 18, 17, 16, 15 और 14 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव आसनखुर्द (हदबस्त संख्या 22) की आयत संख्या 14 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 10/डी०पी०-82/3163, दिनांक 23 फरवरी, 1982, द्वारा पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र सीमा-II पानीपत के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव सुताना (हदबस्त संख्या 23) की आयत संख्या 30 का दक्षिम-पूर्वी कोना है।

Price: Rs. 5.00 (1689)

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव सुताना (हदबस्त संख्या 23) की आयत संख्या 30, 31, 32, 33 और 34 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, तत्पश्चात् गांव उटलिया (हदबस्त संख्या 44) की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ, गांव वैसारी (हदबस्त संख्या 43), गांव भालसी (हदबस्त संख्या 45) तथा गांव मडलीडा (हदबस्त संख्या 7) की दक्षिणी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् गांव नारा (हदबस्त संख्या 6) की आयत संख्या 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128 और 127 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि गांव नारा (हदबस्त संख्या 6) की आयत संख्या 127 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से होते हुए उत्तर की ओर जिला पानीपत की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० ढेसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा संरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### Notification

The 22nd April, 2010

No. CCP(NCR)/PPT-MLDA/CA/2010/1301.—Whereas in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

### Schedule

Schedule of boundaries of additional controlled areas around village Madlauda (Hadbast number 7), Mahayudinpur (Hadbast number 9), Asankhurd (Hadbast number 22), Untliya (Hadbast number 44), Sutana (Hadbast number 23), Bhalsi (Hadbast number 45), Waisary (Hadbast number 43), Nara (Hadbast number 6) district Panipat to be read with Drawing No. D.T.P. (PN) 347/2008, dated the 7th March, 2008.

- North: Starting from point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 14 of village Nara (Hadbast number 6). Thence towards east along the northern village revenue boundary of village Nara (Hadbast number 6), village Madlauda (Hadbast number 7) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 51 of village Madlauda (Hadbast number 7). Thence along the northern boundary of rectangle number 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67 of village Mahay-udinpur (Hadbast number 9) and rectangle number 19, 18, 17, 16, 15 and 14 of village Asan khurd (Hadbast number 22) upto point 'C' i.e. north-east corner of rectangle number 14 of village Asan khurd (Hadbast number 22).
- East: Thence moving from point 'C' towards south-west along the controlled area boundary-II of Panipat already declared vide Haryana Government Gazette Notification No. 10DP-82/3163, dated the 23rd February, 19 upto point 'D' i.e. south-east corner of rectangle number 30 of village Sutana (Hadbast number 23).
- Thence moving from point 'D' towards south-west along the southern boundary of rectangle number 20, 31, 32, 33 and 34 of village Sutana (Hadbast number 23). Thence along the southern village revenue boundaries of village Untliya (Hadbast number 44), village Waisary (Hadbast number 43), mage Bhalsi (Hadbast number 45) and village Madlauda (Hadbast number 7). Thence along the southern boundary of rectangle number 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128 and 127 of village Nara (Hadbast number 6) upto point 'E' i.e. south-west corner of rectangle number 127 of village Nara (Hadbast number 6).
- West: Thence moving from point 'E' towards north along the District boundary of district Panipat upto point 'A' i.e. the point of start.

D.S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.